


**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म०प्र०)**

पृ०कमांक / <sup>(1-22)</sup> 56 / सा०अनु०-45 / 2024 टीकमगढ़, दिनांक :- ३६... जनवरी, 2024

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय पोर्ट फोलियो न्यायाधिपति महोदय (टीकमगढ़), म०प्र० उच्च न्यायालय, जबलपुर (म०प्र०)
2. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म०प्र०, जबलपुर (म०प्र०)
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर (म०प्र०)
4. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ (म०प्र०)
5. कलेक्टर, टीकमगढ़/निवाड़ी (म०प्र०)
6. पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़/निवाड़ी (म०प्र०)
- की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
7. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) टीकमगढ़ (म०प्र०)
8. समस्त जिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी (म०प्र०)
9. प्रभारी अधिकारी, (फाईलिंग काउन्टर) टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा
10. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अति. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी टीकमगढ़
11. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा
12. रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, टीकमगढ़
13. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय टीकमगढ़/निवाड़ी
14. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा
15. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (म०प्र०)
16. अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ, टीकमगढ़ (म०प्र०)
17. अध्यक्ष अभिभाषक संघ जतारा/निवाड़ी/ओरछा जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)
18. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी-प्रथम/द्वितीय, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़
19. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म०प्र०)
20. संबंधित श्री .....
- क. 7 लगायत 20 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल के माध्यम से प्रेषित।
21. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, टीकमगढ़की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को संबंधित उक्त अधिकारीगण की ओर ई-मेल के माध्यम से अविलंब प्रेषित करावें तथा जिला न्यायालय टीकमगढ़ की बेबसाईट पर अविलंब अपलोड करावें।
22. डी.एस.ए., ई-सेवा केन्द्र, जिला न्यायालय टीकमगढ़ की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्य विभाजन एवं कार्य प्रभार के संबंध में अधिवक्तागण/पक्षकारगण द्वारा पूछे जाने पर उन्हें जानकारी तत्काल उपलब्ध करावें।

संलग्न- विविध आदेश

  
 (हितेन्द्र सिंह सिसौदिया)  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 टीकमगढ़ (म०प्र०)

## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)

-: कार्य विभाजन आदेश :-

क्रमांक / .....53...../सां0अनु0-45/2024

टीकमगढ़, दिनांक :- 08 जनवरी, 2024

मैं हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (म.प्र.) मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 की उपधारा (1), धारा 10(दो) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 194, 381(2), 408 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के पालन में, पूर्ववर्ती समस्त कार्य-विभाजन आदेश को निरस्त करते हुए वर्तमान में न्यायिक जिला, टीकमगढ़ में पदस्थ सभी न्यायालयों हेतु आगामी आदेश तक कार्य किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्य-विभाजन करता हूँ :-

यह कार्यविभाजन आदेश दिनांक 9-01-2024 से प्रभावशील होकर आगामी कार्यविभाजन आदेश पारित होने तक प्रभावशील रहेगा।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्य का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारीगण हेतु :-</b>				
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (हितेन्द्र सिंह सिसौदिया)	सम्पूर्ण राजरव जिला टीकमगढ़ अंतर्गत तहसील टीकमगढ़ वल्लदेवगढ़, खरगापुर एवं बड़ागांव	1	दस करोड़ रुपये से अधिक मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विधि मामला।
			2	म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत जिला टीकमगढ़ अंतर्गत प्रस्तुत समस्त चुनाव याचिकायें।
			3	व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ट्रांसफर आफ कैसेस से संबंधित आवेदन पत्र।
			4	लोक परिसर (अनाधिकृत आधिपत्य धारियों से निष्कासन) (एविकशन आफ अन अथराइज्ड आक्यूपेंट) अधिनियम 1971 (Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971) के अंतर्गत अपीलें।
			5	इसी न्यायालय व दावा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय आदेश से संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण व अपीलीय आदेश का क्रियावयन।
			6	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं प्रवर्तन आवेदनपत्र (थाना- जतारा, पलेरा, लिधौरा, चन्देरा, बम्हौरीकला, निवाड़ी, टेहरका, सिमरा, पृथ्वीपुर, ओरछा, सेंदरी, जेरीन के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)। अन्य संपूर्ण जिले के थाना क्षेत्रों से संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य सभी क्लेम याचिकायें।
			7	दीवानी प्रकरणों के अंतरण हेतु आवेदनपत्र।
			8	सेन्ट कन्ट्रोलिंग अथॉरिटी, टीकमगढ़ के आदेशों के विरुद्ध अपीलें।
			9	मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 262 के अंतर्गत रिफरेंस।
			10	समस्त आवेदनपत्र/अपीले/रिफरेंस जो कि अन्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत हो, जिन्हें अन्य न्यायालयों को आवंटित न किया गया हो।
			11	सती निवारण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रकरण।
			12	नगरपालिका अधिनियम से संबंधित (टैक्स से) अपील प्रकरण। समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ द्वारा शासन के विरुद्ध पारित अस्थाई निषेधाज्ञा/डिक्री/निर्णय से उत्पन्न विविध एवं नियमित समस्त अपीलें।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्य का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			13	आदेश 21 नियम 8 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बाहर से आने वाली समस्त इजराय/टी.सी.
			14	भू-अर्जन के अंतर्गत रिफरेंस व अपील।
			15	ऐसे अन्य समस्त प्रकरण व आवेदनपत्र जो सामान्य, स्थानीय और विशेष अधिनियम के अंतर्गत जिला जज की सुनवाई योग्य हों, जिनके संबंध में अन्यत्र निर्देश न दिया गया हो।
			16	<b>विशेष न्यायाधीश</b> — कॉमर्सियल कोर्ट, कॉमर्सियल डिवीजन एवं कॉमर्सियल अपीलेंट, डिवीजन ऑफ उच्च न्यायालय अधिनियम 2015 के प्रावधान अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण।
			17	घाटक दुर्घटना (फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855) के समस्त प्रकरण।
			18	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध व निष्पादन प्रकरण।
			19	विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 20बी के प्रकरण
			20	समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ तथा समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञापतियों एवं आदेशों से उत्पन्न समस्त व्यवहार अपीलें।
			21	समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीश/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञापतियों एवं आदेशों से उत्पन्न समस्त व्यवहार अपीलें।
			22	ग्राम न्यायालय, टीकमगढ़ से उत्पन्न सिविल नियमित एवं विविध अपील।
2-	-	सम्पूर्ण सत्र खण्ड, टीकमगढ़	1	समस्त सत्र विचारण।
			2	आपराधिक पुनरीक्षण।
			3	आपराधिक अपीलें
			4	सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं।
			5	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993 - India Code) के अंतर्गत दण्ड याचिकायें।
			6	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत ट्रांसफर ऑफ कंसेस से संबंधित आवेदन पत्र।
			7	दं०प्र०सं० की धारा 408 एवं 409 के अंतर्गत आवेदन।
			8	बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों (बाल अधिकार आयोग अधिनियम 2005) से संबंधित प्रकरण।
			9	खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम के अधीन न्यायिक गजिस्ट्रेट द्वारा विचारित दण्डित प्रकरणों से उत्पन्न दण्डित अपील
			10	किशोर न्याय बोर्ड टीकमगढ़ के द्वारा विचारित प्रकरणों से उत्पन्न समस्त दण्डित अपील
			11	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्य का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			12	ऐसे अन्य समस्त मामले जो अन्य न्यायालयों को नहीं सौंपे गये हों और सत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्र के हों।
			13	ग्राम न्यायालय, टीकमगढ़ से संबंधित अपीलें।
3-	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश टीकमगढ़ (श्रीमति गीता सोलंकी)	राजस्व जिला टीकमगढ़ तहसील टीकमगढ़ एवं बल्देवगढ़	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
			2	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
4-	---	सत्र खण्ड टीकमगढ़	1	<b>विशेष न्यायाधीश-</b> अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989) के अंतर्गत अपराधों से संबंधित विशेष प्रकरण तथा प्रतिभूति आवेदनपत्र तथा विविध आपराधिक प्रकरण।
			2-	<b>विशेष न्यायाधीश-</b> स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (Narcotic-Drugs-and-Psychotropic-Substances-Act-1985) के अंतर्गत अपराधों से संबंधित विशेष प्रकरण, रिमांड तथा प्रतिभूति आवेदनपत्र तथा विविध आपराधिक प्रकरण।
			3	सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदनपत्र।
			4	उक्त प्रकरणों से उत्पन्न सभी विविध आपराधिक प्रकरण।
			5	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
5-	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री मनोज कुमार)	राजस्व जिला टीकमगढ़ तहसील टीकमगढ़ एवं बल्देवगढ़	1	एक करोड़ एक रुपए से दस करोड़ रुपए मूल्यांकन तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदनपत्र तथा सिविल विविध मामला।
			2	आरबिट्रेशन एण्ड कन्सिलिएशन एक्ट, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की धारा 9 व 11 के अंतर्गत तथा धारा 34, 36 के अंतर्गत आवेदन एवं निष्पादन प्रकरण।
			3	लुवाद दावे रुपये 501 से 1,000 तक।
			4	इंडियन ट्रस्ट एक्ट (THE INDIAN TRUSTS ACT, 1882) के अंतर्गत प्रकरण।
			5	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रकरण (भाग-10) को छोड़कर।
			6	प्राविशियल इन्साल्वेंसी एक्ट (The Provincial Insolvency Act, 1920) के अंतर्गत दावे याचिकायें।
			7	निराकृत सिविल वादों/ मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पारित आज्ञाप्ति तथा अवार्ड के प्रवर्तन प्रकरण/विविध सिविल प्रकरण
			8	तृतीय/चतुर्थ जिला न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा निराकृत सिविल वादों/ मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पारित आज्ञाप्ति तथा अवार्ड के प्रवर्तन प्रकरण/विविध सिविल प्रकरण। उक्त न्यायालयों के आदेश/निर्णय से उत्पन्न होकर अपील न्यायालय के आदेश के पालन में की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।
			9	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदनपत्र जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्य का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			10	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
			11	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
			12	मुख्यालय, टीकमगढ़ में पूर्व से पदस्थापित समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ / कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय जिनकी पदस्थापना वर्तमान में नहीं है, के आज्ञप्तियों/आदेशों के विरुद्ध समस्त अपीलें।
6-	-	सत्र खण्ड टीकमगढ़	1	<b>विशेष न्यायाधीश</b> — भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 एवं 1988 के अंतर्गत उत्पन्न समस्त प्रकरण एवं संबंधित रिमांड तथा जमानत आवेदनपत्र।
			2	सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदनपत्र।
			3	लंबित सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण व जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं।
			4	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
7-	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता)	राजस्व जिला टीकमगढ़।	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
			2	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
8	-	सत्र खण्ड टीकमगढ़	1	<b>विशेष न्यायाधीश</b> —जिला मुख्यालय, टीकमगढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपराधों से संबंधित विशेष सत्र प्रकरण एवं समस्त रिमाण्ड कार्यवाहियां, जमानत आवेदन पत्र तथा विविध आपराधिक प्रकरण।
			2	सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा प्रतिमूति आवेदनपत्र।
			3	लंबित सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं।
			4	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
9-	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री अनिल कुमार करोरिया)	राजस्व जिला टीकमगढ़।	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
			2	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदनपत्र जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।
			3	निराकृत सिविल वादों/मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पारित आज्ञप्ति तथा अर्बाड के प्रवर्तन प्रकरण/ विविध सिविल प्रकरण।
			4	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण।

क्र	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्य का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10-	-	सत्र खण्ड टीकमगढ़	1	<b>विशेष न्यायाधीश-</b> दिनांक 01.04.2017 के पश्चात् प्रस्तुत होने वाले ओ.ए.डब्ल्यू महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराध, चिन्हित, घोषित घृणित एवं सनसनीदार प्रकरणों हिनियस काइम (पॉक्सो एक्ट 2012 के संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)
			2	लंबित सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं।
			3	सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा प्रतिभूति आवेदनपत्र
			4	राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 (National Investigation Agency Act, 2008) के अधीन दांडिक प्रकरण (रजिस्ट्री जबलपुर के ज्ञापन सी/1844/तीन-6-4/10 दिनांक 23.04.2022 के पालन में अधिरूचित)।
11-	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री प्रणयदीप ठाकुर)	राजरव जिला टीकमगढ़ तहसील खरगापुर, बड़ागांव	1	एक करोड़ एक रूपए से दस करोड़ रूपए मूल्यांकन तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदनपत्र तथा सिविल विविध मामला।
			2	आरबिट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की धारा 9 व 11 के अंतर्गत तथा धारा 34, 36 के अंतर्गत आवेदन एवं निष्पादन प्रकरण।
			3	प्रांविशियल इन्सालवेशी एक्ट के अंतर्गत दावे याचिकायें।
			4	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रकरण (भाग-10) को छोड़कर
			5	इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण।
			6	धारा 28 म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट (The Madhya Pradesh Public Trusts Act, 1951) के अंतर्गत प्रकरण।
			7	लघुवाद दावे रूपये 501 से 1,000 तक।
			8	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
			9	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदनपत्र जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावें।
			10	निराकृत सिविल वादों/मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पारित आज्ञाप्ति तथा अवाई के प्रवर्तन प्रकरण/विविध सिविल प्रकरण।
			11	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
12-	-	सत्र खण्ड टीकमगढ़	1	<b>राजरव जिला टीकमगढ़ अंतर्गत मध्यप्रदेश डकैती और ब्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (M.P. Dakaiti Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhinyam, 1981) के अंतर्गत उत्पन्न समस्त प्रकरण एवं संबंधित रिमांड तथा जमानत आवेदनपत्र।</b>
			2	सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदनपत्र।
			3	<b>विशेष न्यायाधीश-</b> मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण, प्रतिभूति आवेदनपत्र एवं विविध कार्यवाहियां।
			4	<b>विशेष न्यायाधीश-</b> भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 (Electricity Act 2003) के अंतर्गत उत्पन्न समस्त विशेष प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र। (जतारा एवं निवाड़ी के विद्युत क्षेत्र को छोड़कर)

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्य का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5	लंबित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण व जमानत आवेदनपत्र के अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.स.
			6	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
13-	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़	राजस्व जिला टीकमगढ़		रिक्त न्यायालय
14-	—	सत्र खण्ड टीकमगढ़		रिक्त न्यायालय
15-	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जतारा (श्री मातादीन रजक)	राजस्व तहसील जतारा, पलेरा, लिधौरा एवं मोहनगढ़	1	एक करोड़ एक रुपये से अधिक मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद आवेदनपत्र तथा सिविल विविध प्रकरण।
			2	मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकाएँ।
			3	आर्बिट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 की धारा 9 एवं 11 के अंतर्गत तथा धारा 34, 36 के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं आर्बिट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट से संबंधित निष्पादन प्रकरण।
			4	हिन्दू विवाह अधिनियम-हिन्दू अवयस्कता संरक्षण अधिनियम/ हिन्दू दत्तक एवं मरण पोषण अधिनियम/ इंडियन डायबोर्स एक्ट/ स्पेशल मैरिज एक्ट/गार्जियनशिप एवं वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकाएँ।
			5	धारा 26 म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण।
			6	मू-अर्जन के अंतर्गत रिफरेंस व अपील।
			7	भारतीय उत्तराधिकार के प्रकरण (भाग-10) को छोड़कर।
			8	निराकृत सिविल वादों/मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पारित आज्ञापियों/आदेशों, अवार्ड से संबंधित प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।
			9	लघुवाद दावे रुपये 501 से 1000 तक।
			10	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदन पत्र जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावे।
			11	टीकमगढ़ जिले के थाना- 1. चन्देरा, 2. बम्हौरीकला से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं प्रवर्तन आवेदनपत्र तथा उक्त थाना के अंतर्गत आने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य सभी क्लेम याचिकाएँ।
			12	पीठासीन अधिकारी, लोक न्यायालय- जिला न्यायाधीश जतारा द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			13	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहिया।
			14	ऐसे समस्त अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत सिविल प्रकृति के प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में न हो तथा अनन्यतः प्रधान जिला न्यायाधीश टीकमगढ़ की श्रवणाधिकारिता के न हो परन्तु इस न्यायालय श्रवणाधिकारिता के हो।
			15	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
			16	तहसील स्थापना, जतारा में पूर्व में पदस्थापित समस्त अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड, जतारा के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञापियों एवं आदेशों से

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्य का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				उत्पन्न समस्त व्यवहार अपीलें।
16-	-"	सत्र खण्ड	1	विशेष न्यायाधीश- भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत उत्पन्न समस्त विशेष प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र (जतारा के विद्युत क्षेत्र से संबंधित)।
			2	सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलें तथा आपराधिक पुनरीक्षण एवं प्रतिभूति आवेदन पत्र।
			3	लंबित सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं.
			4	तहसील जतारा के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरुद्ध उत्पन्न पुनरीक्षण आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां।
			5	थाना चन्देरा एवं बम्हौरीकला (वे क्षेत्र जो जतारा तहसील के अंतर्गत आते हैं) क्षेत्र से उत्पन्न जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं.।
			6	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
			7	तहसील जतारा में पूर्व में पदस्थ रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं वर्तमान में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न आपराधिक अपीलें एवं पुनरीक्षण के संबंध में प्रारंभिक सुनवाई हेतु प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।
17-	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जतारा (श्री हरिश्चंद्र पटेल)	जतारा तहसील	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
			2	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदन पत्र जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।
			3	टीकमगढ़ जिले के थाना-1. जतारा 2. पलेरा 3. लिधौरा से उद्भूत मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166(2) में दिये गये निर्देशों के अनुसार मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
			4	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
			5	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जतारा के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञाप्तियों एवं आदेशों से उत्पन्न समस्त व्यवहार अपीलें।
			6	प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जतारा एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जतारा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश जतारा के आज्ञाप्तियों/आदेशों के विरुद्ध समस्त अपीलें।
18-	-"	सत्र खण्ड	1	सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें तथा आपराधिक पुनरीक्षण एवं प्रतिभूति आवेदनपत्र।
			2	थाना-जतारा, पलेरा, लिधौरा, चन्देरा, बम्हौरीकला से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपराधों से संबंधित विशेष सत्र प्रकरण एवं समस्त रिमाण्ड कार्यवाहियां, जमानत आवेदन पत्र तथा विविध आपराधिक प्रकरण।
			3	लंबित सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं.।
			4	थाना जतारा, पलेरा, लिधौरा (वे क्षेत्र जो जतारा तहसील के

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्य का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				अंतर्गत आते हैं) क्षेत्र से उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं।
			5	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
19-	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निवाड़ी (श्री रूपेश शर्मा)	तहसील निवाड़ी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
			2	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदन पत्र जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।
			3	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
			4	समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी एवं ओरछा के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञाप्तियों एवं आदेशों से उत्पन्न समस्त व्यवहार अपीलें।
			5	तहसील स्थापना निवाड़ी में पूर्व में पदस्थापित समस्त अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड, निवाड़ी के आज्ञाप्तियों/आदेशों के विरुद्ध समस्त अपीलें।
20-	-	सत्र खण्ड	1	सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें तथा आपराधिक पुनरीक्षण एवं प्रतिभूति आवेदनपत्र।
			2	थाना-कोतवाली निवाड़ी, महिला थाना- निवाड़ी एवं थाना- सेंदरी, पृथ्वीपुर, टेहरका, सिमरा, जेराने ओरछा से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपराधों से संबंधित विशेष सत्र प्रकरण एवं समस्त रिमाण्ड कार्यवाहियां, जमानत आवेदन पत्र तथा विविध आपराधिक प्रकरण।
			3	लंबित सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं।
			4	थाना - सेंदरी, टेहरका, सिमरा, जेराने के क्षेत्र से उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं।
			5	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
21-	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निवाड़ी (श्री एम.एल. राठौर)	राजसव तहसील निवाड़ी, पृथ्वीपुर एवं ओरछा	1	एक करोड़ एक रुपये से अधिक मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध प्रकरण।
			2	म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकायें।
			3	आर्बिट्रेशन एण्ड कंशीलिएशन एक्ट, 1996 की धारा 9 एवं 11 के अंतर्गत तथा धारा 34, 36 के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं आर्बिट्रेशन एण्ड कंशीलिएशन एक्ट से संबंधित निष्पादन प्रकरण।
			4	हिन्दू विवाह अधिनियम/हिन्दू अवयस्कता संरक्षण अधिनियम/हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम/इंडियन डार्डवोर्स एक्ट/स्पेशल मेरिज एक्ट/गार्जियनशिप एवं वार्डस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकायें।
			5	धारा 26 मप्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण।
			6	भू-अर्जन के अंतर्गत रिफरेंस व अपील।
			7	भारतीय उत्तराधिकार के प्रकरण (भाग-10) को छोड़कर।
			8	निराकृत सिविल वादों/मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पारित

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्य का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				आज्ञप्तियों/आदेशों, अवार्ड से संबंधित प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।
			9	लघुवाद दावे रुपये 501 से 1000 तक।
			10	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदन पत्र जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावे।
			11	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
			12	ऐसे समस्त अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत सिविल प्रकृति के प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में न हो। तथा अनन्यतः प्रधान जिला न्यायाधीश टीकमगढ़ की श्रवणाधिकारिता के न हो परन्तु इस न्यायालय के श्रवणाधिकारिता के हो।
			13	थाना-1, निवाड़ी 2, टेहरका 3, सिमरा 4, पृथ्वीपुर 5 ओरछा 6, सेंदरी 7, जेरौन से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं प्रवर्तन आवेदनपत्र तथा उक्त थाना के अंतर्गत आने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य सभी क्लेम याचिकायें।
			14	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
			15	प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवाड़ी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवाड़ी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवाड़ी के अतिरिक्त न्यायाधीश, निवाड़ी तथा प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ओरछा, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ओरछा के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञप्तियों एवं आदेशों से उत्पन्न समस्त व्यवहार अपीलें।
			16	ग्राम न्यायालय, निवाड़ी से उत्पन्न सिविल नियमित एवं विविध अपील। (शासन के विरुद्ध पारित अपीलों को छोड़कर)
22-	-/-	सत्र खण्ड	1	विशेष न्यायाधीश- भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत उत्पन्न समस्त विशेष प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र (निवाड़ी के विद्युत क्षेत्र से संबंधित)।
			2	सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलें तथा आपराधिक पुनरीक्षण एवं प्रतिभूति आवेदन पत्र।
			3	लंबित सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं.
			4	तहरील निवाड़ी, पृथ्वीपुर एवं ओरछा के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरुद्ध उत्पन्न पुनरीक्षण आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां।
			5	थाना कोतवाली निवाड़ी, महिला थाना निवाड़ी, थाना-पृथ्वीपुर तथा थाना- ओरछा के क्षेत्र से उत्पन्न (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र को छोड़कर) जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं.
			6	सत्र प्रकरण जिन्हें प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे।
			7	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
			8	ओरछा स्थित न्यायालयों से उद्भूत आपराधिक अपीलें एवं पुनरीक्षण।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्य का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			9	ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 33 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय निवाड़ी के दंडिक मामलों से उद्भूत दंडिक अपीलें। उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न सभी विविध आपराधिक प्रकरण नोट- जिन अपराधों के विचारण का अधिकार उन्हें दिया गया है, से संबंधित प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई करेंगे।
			10	तहसील निवाड़ी एवं तहसील ओरछा में पूर्व में पदस्थ रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं वर्तमान में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न आपराधिक अपीलें एवं पुनरीक्षण के संबंध में प्रारंभिक सुनवाई हेतु प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।
			11	11. थाना कोतवाली निवाड़ी, महिला थाना निवाड़ी, थाना- सेंदरी, पृथ्वीपुर, टेहरका, सिमरा, जेरोन एवं ओरछा के क्षेत्र से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराध (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र को छोड़कर) से संबंधित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 व प्र.सं।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्य का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>व्यवहार न्यायाधीशगण हेतु</b>				
23-	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़ (श्रीमती सपना पोर्ते)	माह जनवरी से फरवरी तक राजस्व तहसील टीकमगढ़, बड़ागांव, बल्देवगढ़ एवं खरगापुर	1	समस्त सांपत्तिक वाद जिनका मूल्य 5,00,001/- (पांच लाख एक) से अधिक एवं 10,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक है।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/- रुपये से 500/- रुपये तक है।
			3	भा0 उत्तरा0 अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त आवेदन पत्र।
			4	मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172 (1) के अधीन उत्पन्न अपीलें।
			5	राजस्व तहसील बल्देवगढ़ एवं खरगापुर से उद्भूत मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
			6	वह सभी प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जायें।
			7	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			8	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
24-	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ (ग0प्र0) (श्री अमन सिंह भूरिया)	माह सितम्बर से अक्टूबर तक राजस्व तहसील टीकमगढ़, बड़ागांव, बल्देवगढ़ एवं खरगापुर	1	समस्त सांपत्तिक वाद जिनका मूल्य 5,00,001/- (पांच लाख एक) से अधिक एवं 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक है।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/- रुपये से 500/- रुपये तक है।
			3	भा0 उत्तरा0 अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त आवेदन पत्र।
			4	ग0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172(1) के अधीन उत्पन्न अपीलें।
			5	राजस्व तहसील बल्देवगढ़ एवं खरगापुर से उद्भूत मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
			6	वह सभी प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाये।
			7	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			8	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
25	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ (ग0प्र0) (श्री अमित निगम)	माह मार्च से मई तक राजस्व तहसील टीकमगढ़, बड़ागांव, बल्देवगढ़ एवं खरगापुर	1	समस्त सांपत्तिक वाद जिनका मूल्य 5,00,001/- (पांच लाख एक) से अधिक एवं 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक है।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/- रुपये से 500/- रुपये तक है।
			3	भा0 उत्तरा0 अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त आवेदन पत्र।
			4	ग0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172(1) के अधीन उत्पन्न अपीलें।
			5	राजस्व तहसील बल्देवगढ़ एवं खरगापुर से उद्भूत मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
			6	वह सभी प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाये।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्य का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			7	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			8	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
26-	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ (म0प्र0) (श्री अरविंद सिंह)	माह जून से अगस्त तक राजस्व तहसील टीकमगढ़, बड़ागांव, बल्देवगढ़ एवं खरगापुर	1	समस्त सांपत्तिक वाद जिनका मूल्य 5,00,001/- (पांच लाख एक) से अधिक एवं 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक है।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/- रु0 से 500/- रुपये तक है।
			3	भा0 उत्तरा0 अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त आवेदन पत्र।
			4	म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172(1) के अधीन उत्पन्न अपीलें।
			5	राजस्व तहसील बल्देवगढ़ एवं खरगापुर से उद्भूत मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
			6	वह सभी प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाये
			7	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण
			8	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
27	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री प्रदीप सोनी)	माह नवम्बर से दिसम्बर तक राजस्व तहसील टीकमगढ़, बड़ागांव, बल्देवगढ़ एवं खरगापुर	1	समस्त सांपत्तिक वाद जिनका मूल्य 5,00,001/- (पांच लाख एक) से अधिक एवं 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक है।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/- रु0 से 500/- रुपये तक है।
			3	भा0 उत्तरा0 अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त आवेदन पत्र
			4	म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172(1) के अधीन उत्पन्न अपीलें।
			5	राजस्व तहसील बल्देवगढ़ एवं खरगापुर से उद्भूत मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
			6	वह सभी प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जायें
			7	उनके द्वारा एवं चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			8	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
			9	न्यायालय (1) चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ (2) पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ (3) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्य का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय टीकमगढ़ (श्री प्रदीप सोनी)	राजस्व तहसील टीकमगढ़ की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत	1	ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की अनुसूची के भाग 1 व 2 में वर्णित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं द्वितीय अनुसूची के भाग-1 में वर्णित समस्त सिविल प्रकरण व अन्य वाद एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाही।
			2	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
29-	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, टीकमगढ़			प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, टीकमगढ़ के होने से किशोर न्याय बोर्ड का कार्य।
30-	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ (श्री संगम सिंह)	माह जनवरी से अप्रैल तक राजस्व तहसील टीकमगढ़, बड़ागांव, बल्देवगढ़ एवं खरगापुर	1	रुपये 0 से रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) तक के सिविल वाद एवं उनसे उद्भूत विविध सिविल वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/- रु० से 200/- रुपये तक है।
			3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
			4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			5	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
31-	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ (सुश्री रिशु भगत)	माह सितम्बर से दिसम्बर तक राजस्व तहसील टीकमगढ़, बड़ागांव, बल्देवगढ़ एवं खरगापुर	1	रुपये 0 से 5,00,000/- (पांच लाख) तक के सिविल वाद एवं उनसे उद्भूत विविध सिविल वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/- रु० से 200/- रुपये तक है।
			3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
			4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			5	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
32-	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ (श्रीमती नूतन रावते)	माह मई से अगस्त तक राजस्व तहसील टीकमगढ़, बड़ागांव, बल्देवगढ़ एवं खरगापुर	1	रुपये 0 से 5,00,000/- (पांच लाख) तक के सिविल वाद एवं उनसे उद्भूत विविध सिविल वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/- रु० से 200/- रुपये तक है।
			3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
			4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			5	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
33	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश टीकमगढ़(श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी )		1	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
			2	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्य का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश		1	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
			2	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
35	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश		1	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
			2	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
36-	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़			रिक्त न्यायालय
37-	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़			रिक्त न्यायालय
38-	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़			रिक्त न्यायालय
39-	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जतारा (श्रीमती संगीता डायर भौर्य)	राजसू तहो जतारा, पलेरा, लिधौरा एवं मोहनगढ़	1	रुपये 5,00,001/- (पांच लाख एक) से 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक के मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत सभी विविध व्यवहार वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/- ₹0 से 500/- रुपये तक है।
			3	उपरोक्त वादों से उत्पन्न सभी निष्पादन व विविध प्रकरण।
			4	भारो उत्तराओ अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र ।
			5	म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत सभी अपीलें ।
			6	मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
			7	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
			8	न्यायालय- (1) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जतारा (प्रथम) (2) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जतारा (3) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, जतारा द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			9	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
40-	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जतारा			रिक्त न्यायालय
41-	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जतारा			रिक्त न्यायालय
42-	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जतारा (श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी)	माह जनवरी से जून तक राजसू तहसील जतारा, पलेरा, लिधौरा एवं मोहनगढ़	1	0 रुपये से 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) तक के साम्प्रतिक वाद एवं उनसे उद्भूत सभी विविध तथा निष्पादन प्रकरण।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/- ₹0 से 200/- रुपये तक है।
			3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्य का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण
			5	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
			6	समस्त व्यवहार न्यायालय कनिष्ठ खण्ड जतारा के रिक्त न्यायालयों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
43-	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जतारा (सुश्री विजया भारती यादव)	माह जुलाई से दिसम्बर तक राजस्व तहसील जतारा, पलेरा, लिधौरा एवं मोहनगढ	1	रूपये 0 से 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) तक के साम्प्रतिक वाद एवं उनसे उद्भूत सभी विविध तथा निष्पादन प्रकरण।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/- रू० से 200/- रूपये तक है।
			3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
			4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			5	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
44-	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाडी (श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय)	राजस्व तहसील निवाडी एवं पृथ्वीपुर का वह भाग जो निवाडी न्यायालय की सीमा में आता है।	1	रूपये 5,00,001/- (पांच लाख एक) से 1,00,00,000/- (एक करोड़ रूपये) तक के मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत सभी विविध व्यवहार वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/- रू० से 500/- रूपये तक है।
			3	म०प्र० नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत सभी अपीलें।
			4	भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			5	मुरिलम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
			6	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
			7	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
			8	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाडी द्वारा पूर्व निराकृत प्रकरण से संबंधित विविध एवं निष्पादन प्रकरण एवं अपील न्यायालय से प्राप्त रिमाण्ड प्रकरण एवं अन्य आदेश से संबंधित कार्यवाहियों का क्रियान्वयन
45-	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय निवाडी (श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय)	राजस्व तहसील निवाडी की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत	1	ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की अनुसूची के भाग 1 व 2 में वर्णित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं द्वितीय अनुसूची के भाग-1 में वर्णित समस्त सिविल प्रकरण व अन्य वाद एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाही।
			2	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
46-	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाडी			रिक्त न्यायालय

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्य का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
47-	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (सुश्री पलक राय)	राजस्व तहसील निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर का वह भाग जो निवाड़ी न्यायालय की सीमा में आता है।	1	रुपये 0 से 5,00,000/- (पांच लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं उनसे उद्भूत सभी विविध तथा निष्पादन प्रकरण।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/- रू० से 200/- रुपये तक है।
			3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
			4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण
			5	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवाड़ी द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			6	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
48-	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (सुश्री के. शिवानी)	माह जनवरी से जून तक राजस्व तहसील निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर का वह भाग जो निवाड़ी न्यायालय की सीमा में आता है।	1	रुपये 0 से 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) तक के साम्प्रतिक वाद एवं उनसे उद्भूत सभी विविध तथा निष्पादन प्रकरण।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/- रू० से 200/- रुपये तक है।
			3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
			4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवाड़ी द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			6	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
49-	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवाड़ी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश निवाड़ी (श्री मनीष छापरिया)	माह जुलाई से दिसम्बर तक राजस्व तहसील निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर का वह भाग जो निवाड़ी न्यायालय की सीमा में आता है।	1	रुपये 0 से 5,00,000/- (पांच लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं उनसे उद्भूत सभी विविध तथा निष्पादन प्रकरण।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/- रू० से 200/- रुपये तक है।
			3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
			4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			5	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
50-	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ओरछा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ओरछा (श्री राघवेंद्र मटेल)	राजस्व तहसील ओरछा, व पृथ्वीपुर का वह भाग जो ओरछा न्यायालय की सीमा में आता है।	1	रुपये 5,00,001/- (पांच लाख एक) से 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक के मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत सभी विविध व्यवहार वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/- रू० से 500/- रुपये तक है।
			3	म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत सभी अपीलें।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्य का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			4	भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र ।
			5	मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
			6	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
			7	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ओरछा द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			8	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
51-	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री उपमन्यु शुक्ला)	राजसद तहसील ओरछा, व पृथ्वीपुर का वह भाग जो ओरछा न्यायालय की सीमा में आता है।	1	रुपये 0 से 5,00,000/- (पांच लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं उनसे उद्भूत सभी विविध तथा निष्पादन प्रकरण ।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/- रू० से 200/- रूपये तक है।
			3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
			4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			5	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ओरछा द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			6	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
52-	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ओरछा			रिक्त न्यायालय

### टिप्पणी :-

- सत्र न्यायालय द्वारा अंतरित/सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जमानत आवेदन पत्र, जिस न्यायालय द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र निराकृत किया गया हो, उसी न्यायालय द्वारा पश्चात्वर्ती जमानत आवेदन पत्रों का भी निराकरण किया जावेगा। इसके साथ ही उसी अपराध से संबंधित अन्य आरोपीगण के प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र भी उसी सत्र न्यायालय द्वारा निराकृत किये जावेंगे, जिस न्यायालय द्वारा सह आरोपियों की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं. के जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया गया है। उसी आवेदन पत्र स्वमेव अंतरित माने जावेगे, परन्तु लंबित सत्र प्रकरणों में सह आरोपी की ओर से प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र का निराकरण विचारण न्यायालय जिनके यहां सत्र प्रकरण लंबित हैं, के द्वारा किया जावेगा।
- विशेष न्यायालय, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार-निवारण) अधिनियम, विशेष न्यायालय (विद्युत) अधिनियम, विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस.) अधिनियम, विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण) अधिनियम तथा विशेष न्यायालय (पॉक्सो) अधिनियम के प्रकरणों का पंजीयन संबंधित विशेष न्यायालय में दायरा पंजी रखी जाकर पंजीयन किया जावेगा। इसी प्रकार इन विशेष न्यायालयों से संबंधित जमानत आवेदन पत्र संबंधित विशेष न्यायालयों में सीधे पेश किये जावेंगे।
- अवकाश के दौरान लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत रिमाण्ड कार्यवाही के दौरान धारा 437 द.प्र.सं. के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र, क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक दण्डाधिकारी अथवा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे, तदनुसार संबंधित दण्डाधिकारी विधिक प्रावधानों के प्रकाश में निराकरण कर सकेंगे।

4. रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित समस्त कार्य जिला रजिस्ट्रार, टीकमगढ़ द्वारा संपादित किया जावेगा।
5. लोक अदालत की खण्डपीठ द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन वादों का प्रस्तुतीकरण व निराकरण उसी खण्डपीठ द्वारा किया जावेगा, जिसके द्वारा प्रकरण निराकृत किया गया है।
6. मुख्यालय टीकमगढ़/तहसील जतारा/तहसील निवाड़ी में पूर्व में पदस्थापित जिला न्यायाधीश (पूर्व पदनाम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश) के न्यायालय जिनकी पदस्थापना वर्तमान में नहीं है, से संबंधित समस्त कार्यवाहियां कार्य विभाजन पत्रक के संलग्न चार्ज प्रभार द्वारा संपन्न की जावेगी।
7. मुख्यालय टीकमगढ़/तहसील जतारा/तहसील निवाड़ी/तहसील ओरछा में पूर्व में पदस्थापित समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड (वर्ग-1)/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (वर्ग-2) जिनकी पदस्थापना वर्तमान में नहीं है से संबंधित कार्यवाहियां कार्यविभाजन पत्रक के संलग्न चार्ज प्रभार द्वारा संपादित की जावेगी।
8. **विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) अधिनियम टीकमगढ़** के अवकाश पर रहने पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों से संबंधित अर्जेन्ट आवेदनों की सुनवाई जिला मुख्यालय, टीकमगढ़ पर उपलब्ध **वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश** द्वारा की जावेगी। जिला मुख्यालय, टीकमगढ़ में कोई भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उपस्थित न होने पर सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा सुनवाई की जावेगी।
9. **विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.) अधिनियम टीकमगढ़** के अवकाश पर रहने पर एस.सी./एस.टी. एक्ट के प्रकरणों से संबंधित अर्जेन्ट आवेदनों की सुनवाई जिला मुख्यालय, टीकमगढ़ पर उपलब्ध **वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश** द्वारा की जावेगी। जिला मुख्यालय, टीकमगढ़ में कोई भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उपस्थित न होने पर सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा सुनवाई की जावेगी एवं उक्त सभी की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़ द्वारा की जावेगी।
10. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त न्यायिक कार्य/विविध कार्य माननीय उच्च न्यायालय से आने वाले आदेशों/निर्देशों का परिपालन तथा मूल दस्तावेज वापिसी से संबंधित कार्य, उपलब्ध **वरिष्ठ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश** द्वारा संपादित किया जावेगा और उनकी अनुपस्थिति में कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार उनके प्रभार वाले न्यायाधीशों द्वारा संपादित किया जावेगा।
11. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त न्यायिक कार्य/विविध कार्य माननीय उच्च न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय से आने वाले आदेशों/निर्देशों का परिपालन तथा मूल दस्तावेज वापिसी से संबंधित कार्य, उपलब्ध **वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड** द्वारा संपादित किया जावेगा और उनकी अनुपस्थिति में कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार उनके प्रभार वाले न्यायाधीशों द्वारा संपादित किया जावेगा।
12. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त न्यायिक कार्य/विविध कार्य माननीय उच्च न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय से आने वाले आदेशों/निर्देशों का परिपालन तथा मूल दस्तावेज वापिसी से संबंधित कार्य, उपलब्ध **वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड** द्वारा संपादित किया जावेगा और उनकी अनुपस्थिति में कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार उनके प्रभार वाले न्यायाधीशों द्वारा संपादित किया जावेगा।
13. मोटरयान अधिनियम की धारा 166(2) के तहत मामलों की सुनवाई हेतु उक्त कार्य विभाजन में अधिकृत टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी स्थित समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 166(2) के साथ धारा 164 एवं 163ए के तहत मामलों की सुनवाई का कार्य संपादित किया जावेगा।
14. इस जिला स्थापना पर यदि किसी न्यायालय में पदस्थ पीठासीन अधिकारी (जिला न्यायाधीश/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड) का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाता है तो उक्त न्यायालय [रिक्त न्यायालय] को आवंटित समस्त न्यायिक कार्य/विविध कार्य आगामी आदेश होने तक चार्ज प्रभार सारणी के उल्लेखित प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय द्वारा संपादित किये जायेंगे।

15. पूर्व में रिक्त रहे ऐसे सभी न्यायालय जो वर्तमान में कार्यरत हैं, का तत्समय का समस्त कार्य वर्तमान में कार्यरत संबंधित न्यायालय द्वारा संपादित किया जावेगा।
16. जिला स्थापना पर कार्यरत जिला न्यायाधीश का न्यायालय रिक्त होने की दशा में उक्त रिक्त न्यायालय के अत्यावश्यक (सिविल एवं आपराधिक) कार्य हेतु चार्ज प्रभार सारणी के उल्लेखित नियुक्त प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा ही क्लेम प्रकरणों में जमा राशि के भुगतान संबंधी कार्यवाही सहित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियां संपादित की जावेगी।
17. क्षेत्राधिकार के संबंध में भ्रम की स्थिति में आवेदन प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
18. निराकृत विशेष प्रकरणों के संबंध में वरिष्ठ न्यायालयों से आदेश प्राप्त होने पर कार्य कार्यविभाजन आदेश में दिये गये क्षेत्राधिकारिता अनुसार अधिसूचित न्यायालयों द्वारा [आवंटित धाने अनुसार] कार्यवाही की जायेगी।
19. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय टीकमगढ़ के अवकाश में होने पर, उनके न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाहियां प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ द्वारा की जावेगी।
20. सत्रखण्ड निवाड़ी/जतारा में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रथम रिमाण्ड प्रस्तुत होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा कार्यवाही की जावेगी तथा द्वितीय रिमाण्ड प्रस्तुत होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उक्त पत्रावली, संबंधित न्यायालय में अग्रिम रिमाण्ड हेतु पत्रावली प्रेषित करेंगे तथा अभिरक्षा में रखे जाने वाले वारंट पर आगामी तिथि पर उपस्थित होने के लिये विशेष न्यायालय में उपस्थिति बावत् टीप अंकित करेंगे।

सि/13  
08.08.24

(हितेन्द्र सिंह सिसौदिया)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
टीकमगढ़ (4090)

**—: चार्ज प्रभार :—**

1. सिविल जिला टीकमगढ़ के अंतर्गत कार्यरत न्यायाधीशों की अनुपस्थिति/अवकाश/प्रीष्कालीन/शीतकालीन अवकाश/अस्थाई रिक्तता में, उनके न्यायालयों से संबंधित आवश्यक कार्य सामान्य रूप से न्यायालयों के सम्मुख निम्नानुसार न्यायालयों के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा सम्पादित किया जावेगा :-

क्र०	न्यायालय	प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय	द्वितीय उत्तरवर्ती न्यायालय	तृतीय उत्तरवर्ती न्यायालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया)	विशेष न्यायाधीश (एट्रो) टीकमगढ़ (श्रीमति गीता सोलंकी)	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री मनोज कुमार)	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री प्रणयदीप ठाकुर)
2	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ (श्री सुभाष सोलंकी)	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया)	विशेष न्यायाधीश (एट्रो) टीकमगढ़ (श्रीमति गीता सोलंकी)	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री प्रणयदीप ठाकुर)
3	विशेष न्यायाधीश (एट्रो) टीकमगढ़ (श्रीमति गीता सोलंकी)	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता)	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री मनोज कुमार)	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री अनिल कुमार करौरिया)



**व्यवहार न्यायाधीशगण :-**

2. सिविल जिला टीकमगढ़ के अंतर्गत कार्यरत न्यायाधीशों की अनुपस्थिति/ अवकाश/ ग्रीष्मकालीन/ शीतकालीन अवकाश/अस्थाई रिक्तता में, उनके न्यायालयों से संबंधित आवश्यक सिविल कार्य सामान्य रूप से न्यायालयों के सम्मुख निम्नानुसार न्यायालयों के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा सम्पादित किया जावेगा :-

क्र०	न्यायालय	प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय	द्वितीय उत्तरवर्ती न्यायालय	तृतीय उत्तरवर्ती न्यायालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	प्रथम व्यवहार वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (श्रीमति सपना पोर्ते)	द्वितीय व्यवहार वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (श्री अमित निगम)	तृतीय व्यवहार वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (श्री अरविन्द सिंह)	चतुर्थ व्यवहार वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (श्री अमन सिंह भूरिया)
2	द्वितीय व्यवहार वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (श्री अमित निगम)	तृतीय व्यवहार वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (श्री अरविन्द सिंह)	चतुर्थ व्यवहार वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (श्री अमन सिंह भूरिया)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री प्रदीप सोनी)
3	तृतीय व्यवहार वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (श्री अरविन्द सिंह)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री प्रदीप सोनी)	द्वितीय व्यवहार वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (श्री अमित निगम)	चतुर्थ व्यवहार वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (श्री अमन सिंह भूरिया)
4	चतुर्थ व्यवहार वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (श्री अमन सिंह भूरिया)	द्वितीय व्यवहार वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (श्री अमित निगम)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री प्रदीप सोनी)	तृतीय व्यवहार वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (श्री अरविन्द सिंह)
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री प्रदीप सोनी)	प्रथम व्यवहार वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (श्रीमति सपना पोर्ते)	तृतीय व्यवहार वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (श्री अरविन्द सिंह)	चतुर्थ व्यवहार वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (श्री अमन सिंह भूरिया)
6	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्रीमति कविता संगम सिंह)	तृतीय व्यवहार वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (श्री अरविन्द सिंह)	चतुर्थ व्यवहार वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (श्री अमन सिंह भूरिया)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री प्रदीप सोनी)
7	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (रिक्त न्यायालय)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (सुश्री रिशु भगत)	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (श्रीमती नूतन रावते)	द्वितीय व्यवहार वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ (श्री अमित निगम)





क०	न्यायालय	प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय	द्वितीय उत्तरवर्ती न्यायालय	तृतीय उत्तरवर्ती न्यायालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ओरछा (श्री रागवेन्द्र सिंह पटेल)	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री उपमन्यू शुक्ला)	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाडी (श्रीमति प्राची उपाध्याय)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवाडी (सुश्री के० शिवानी)
26	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री उपमन्यू शुक्ला)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ओरछा (श्री रागवेन्द्र सिंह पटेल)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवाडी (सुश्री के० शिवानी)	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाडी (श्रीमति प्राची उपाध्याय)
27	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ओरछा (रिक्त न्यायालय)	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री उपमन्यू शुक्ला)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ओरछा (श्री रागवेन्द्र सिंह पटेल)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवाडी (सुश्री के० शिवानी)

नोट- स्तम्भ क्रमांक 3, 4 एवं 5 में दर्शित न्यायिक अधिकारी के भी अनुपस्थिति/अवकाश पर रहने से मुख्यालय/तहसील मुख्यालय में कार्यरत निकटम वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी द्वारा आवश्यक न्यायिक कार्य संपादित किया जावेगा।

21/2 08.01.24

(हितेन्द्र सिंह सिसौदिया)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
टीकमगढ़ (ग०प्र०)